

## 132727 - राज्य और चर्च से सहायता लेना और मांगना

### प्रश्न

मैं अमेरिका में रहता हूँ, और हम कुछ मुफ्त सेवाएं लेते हैं, खासकर हम लोग सीमित आय वालों में से समझे जाते हैं, किंतु इन सेवाओं में से कुछ जैसे उदाहरण के तौर पर खाना, हमारे लिए उसे चर्चों से लेना संभव है, तो क्या यह जाइज़ है ?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकारकी प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाहके लिए योग्य है।

राज्य या योगदानपर आधारित संस्थाओंसे सहायता स्वीकारकरने में कोई हर्जनहीं है भले ही वह चर्च हो, जब तककि वह धर्म की किसीचीज़ को छोड़ देने, या किसीबुराई को मान्यतादेने, या बच्चोंआदि पर प्रभावडालने का कारण बनता हो। लेकिन उस से उपेक्षाकरना और उस से निस्पृहोना प्राथमिकतारखता है, क्योंकि ऊपर वाला हाथ नीचेवाले हाथ से बेहतर है, विशेषकर जब मामला चर्चसे लेने का है जिसका आम तौर से वह जो कुछ मुसलमानोंको देता है उसमें संदिग्ध उद्देश्य होता है। बुखारी(हदीस संख्या : 1428)ने हकीम बिन हिज़ामर ज़ियल्लाहु अन्हुके माध्यम से नबीसल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम से रिवायत किया है कि आप नेफरमाया : “ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथसे बेहतर है, और तुम उस व्यक्ति से आरंभ करो जिसका खर्च उठाने के तुम ज़िम्मेदार हो, और बेहतरीन दान मालदारी में है, और जो व्यक्तिमांगने से बचना चाहता है तो अल्लाह उसे बचा लेता है, और जो निस्पृह होना चाहता है, अल्लाह उसे निस्पृह कर देता है।”

तथा बुखारी(हदीस संख्या : 1429) और मुस्लिम (हदीस संख्या : 1033) में इब्नेउमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वर्णित है कि उन्होंने कहा : मैं ने नबीसल्लल्लाहु अलैहिव सल्लम को फरमाते हुए सुना जबकि आप मिंबर पर थे और आप ने सदका (दान) मांगने से उपेक्षाकरने तथा मांगनेका चर्चा किया: “ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला हाथ है, और नीचे वाला हाथ मांगने वाला हाथ है।”

लोगों से दानमांगना धृणित काम है, भले ही किसी मुसलमान से मांगा जाए, सिवाय इसके कि मांगने वाला मांगने पर मजबूर (विवश) हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहिव सल्लमने फरमाया : “मांगना एक खरोंच है जिस से आदमी अपने चेहरेको खरोंचता है सिवाय इसके कि आदमी किसी राजा से मांगे, या ऐसीचीज़ के अंदर मांगे जिसके बिनाउसके लिए कोई चारहन हो।” इसे तिर्मिज़ी नेतथा अल्बानी ने सही ह तिर्मिज़ीमें सही ह कहा है।

तथा अबू दाऊद(हदीस संख्या : 1639) ने इन शब्दों के साथ रिवायत किया है :

“मांगनाखरोंच (छीलन, हलका घाव) है जिससे आदमी अपने चेहरेको नोचता है, अतः जो चाहे अपने चेहरेको वैसे बरकराररखे और जो चाहेउसे छोड़ दे, सिवाय इसके कि आदमी किसी राज्यवाले (बैतुलमाल) से मांगे, या किसी ऐसे मामलेमें मांगे जिसकेबिना कोई चारहन हो।”

“सुबुलुस्सलाम” (1/548) में फरमाया: (कद्दुन) अर्थात्: खरोंच और वहउसके निशान कोकहते हैं, रही बातराजा से प्रश्नकरने की तो उसमेंकोई बुराई नहींहै; क्योंकिवह उसी चीज़ का प्रश्नकरता है जो उसकाबैतुल माल मेंहक है, और राजा कामांगने वाले परकोई उपकार नहींहै। क्योंकि वहवकील है, तो वह ऐसेही है कि कोई मनुष्य अपने वकील से यहप्रश्न करे किवह उसे उसके उसहक में से दे देजो उसके पास है।” अंत।

बुखारी (हदीससंख्या : 1475) और मुस्लिम(हदीस संख्या : 1040) ने अब्दुल्लाहबिन उमर रजियल्लाहुअन्हुमा से रिवायतकिया है कि उन्होंने कहा : नबी सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमने फरमाया : “आदमी लोगोंसे मांगता रहताहै यहाँ तक कि वहक्रियामत के दिनइस हाल में आयेगाकि उसके चेहरेपर मांस नहीं होगा।”

तथा मुस्लिम(हदीस संख्या : 1041) ने अबू हुरैरहरज़ियल्लाहु अन्हुसे रिवायत कियाहै कि उन्हों नेकहा : अल्लाह केपैगंबर सल्लल्लाहुअलैहि व सल्लमने फरमाया : “जिस आदमी नेलोगों से उनकेधन को मांगा ताकिवह अधिक से अधिकमाल जमा करे, तो वास्तवमें वह आग का अंगारामांगता है, तो फिरवह कम करे या अधिककरे।”

तथा हदीस केशब्द : “जिसनेलोगों से उनकेधन को मांगा अधिकमाल जमा करने केलिए” का अर्थयह है कि : वह लोगोंसे मांगता है ताकिअधिक धन जमा करेजबकि उसे उसकीज़रूरत नहीं है।

इन हदीसोंके अंदर सुवक्ताफटकार और मागनेसे स्पष्ट रूपसे घृणा और नफरतदिलाया गया है, सिवायउस व्यक्ति केजिसके पास मांगनेके बिना कोई चारहन हो।

इस आधार पर, जब तक आप लोगोंको सहायता की सख्तज़रूरत नहीं हैतो उसे मांगनेसे उपेक्षा करें, और यदि आप लोगों को इसकीआवश्यकता है तोउसे मांगने औरलेने में आपकेऊपर कोई हर्ज नहींहै।

हम अल्लाहतआला से प्रार्थनाकरते हैं कि अपनीकृपा व अनुकंपासे आपको निस्पृहकर दे।